

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर देवास एवं सीहोर जिले में बुदनी-इन्दौर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु देवास वन मण्डल की 45.715 हेक्टेयर वनभूमि एवं सीहोर वन मण्डल की 24.920 हेक्टेयर वनभूमि कुल 70.635 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 70.775 हेक्टेयर) रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक:

स्थान: भोपाल


 (अशोक कुमार)
 अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)